

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-02-06/2015 48 27

पटना, दिनांक 14/9/21

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010" में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत दिनांक 22.09.2021 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गयी। समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा सवर्ग के अभियंताओं के सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 30 वर्षों के नियमित सेवा होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अधीक्षण अभियंताओं को क्रमशः उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति स्तम्भ -7 में अंकित वेतन स्तर में प्रदान की जाती है:-

| क्र० | नाम/गृह जिला | वरीयता क्रमांक वर्ष 2016 | जन्म तिथि | अभियंता सवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि | तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि | तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का देय वेतनमान |
|------|--|--------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री योगेश्वर पाण्डेय/ पटना (अ0अ0) (सेवानिवृत्त) | 25 | 02.01.1962 | 22.06.1987 स0अ0 | 22.06.2017 | वेतन स्तर-13A |
| 2 | स्व0 बॉके बिहारी सिंह/भागलपुर (अ0अ0) (मृत) | 94 | 01.01.1961 15.06.2020 (मृत) | 25.06.1987 स0अ0 | 25.06.2017 | वेतन स्तर-13A |

- वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22(i) एवं (ii) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक- 21.01.2010 के कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

Charan

13/9/21

4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

83
13/9/2022
(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-02-06/2015 4828

पटना, दिनांक 14/9/22

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग(वित्त विभाग) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

83
13/9/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-02-06/2015 4828

पटना, दिनांक 14/9/22

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

83
13/9/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-02-06/2015 4828

पटना, दिनांक 14/9/22

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य(ग्रामीण कार्य विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/पंचायती राज विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी-2, 3, एवं 13 ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

83
13/9/2022

सरकार के विशेष सचिव

82

Chandan